बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

दिनांक 23.7.19

संख्या–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 9852 / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–55145 दिनांक 06.07.2019 द्वारा व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकरी / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को तदर्थ रूप से पुनर्नियोजित कर निम्नांकित नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	पदस्थापन
1	श्री जय प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना	30.06.2019	पटना
2	श्री राम विनोद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज।	31.07.2017	मधेपुरा
3	श्री विभाकर दूबे, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर।	28.02.2017	पूर्णियाँ
4	श्री प्रभात कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी।	30.04.2019	सीवान
5	श्री हसन नवाज, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई।	30.06.2018	पश्चिम चंपारण, बेतिया

उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी की पुनर्नियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी के पद पर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगी:–

(i) पुनर्नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी तौर पर आरंभ में 06 (छः) माह के लिए होगी। पुनर्नियुक्त अतिरिक्त पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की समीक्षा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा की जायेगी और उनके कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा की आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ायी जायेगी। पुनर्नियोजन के लिए कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) उनकी नियुक्ति किसी भी समय यहाँ तक कि 06 (छः) माह के पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर समाप्त की जा सकेगी।

(iii) सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन से पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय होगा। पेंशन पर मंहगाई राहत मिलता रहेगा।

(iv) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता मद में 50 लीटर पेट्रोल के समतुल्य राशि देय होगी परन्तु अलग से उन्हें गाड़ी देय नहीं होगी।

(v) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारी को दूरभाष की सुविधा के लिए 1000/– (एक हजार) रुपये का SIM देय होगा परन्तु मोबाईल अलग से देय नहीं होगा।

(vi) आवासीय सुविधा के बदले जिस शहर में न्यायालय कार्यरत है वहाँ के लिए अनुमान्य दर पर मकान किराया भत्ता देय होगा।

(vii) पीठासीन पदाधिकारियों को उनके एक वर्ष के नियोजन अवधि में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

(viii) वर्त्तमान में न्यायालय की जो आधारभूत संरचना की सुविधा उपलब्ध है, उसी के तहत न्यायालय तथा कार्यालय कार्यरत रहेगा। इसके लिए अलग से आधारभूत संरचना की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(ix) न्यायिक पदाधिकारियों से संबंधित यह सुविधा विभागीय ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में वर्णित अन्य संविदा कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23.7.19

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0 9852 /पटना–15, दिनांक 23.7.19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

23.7.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0 9852 /पटना–15, दिनांक 23.7.19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–55145 दिनांक 06.07.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.19

सरकार के अवर सचिव।